सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 115
12/02/2018

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, भोजपुर को लगा चार मामलों में आर्थिक दण्ड

पटना–12 फरवरी, 2018 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा ने वाद सं0–76193 / 12–13, 76194 / 12–13, 76195 / 12–13 एवं –76196 / 12–13 के मामले में आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त ने आवेदक श्री अरविन्द कुमार को उपर्युक्त चारों मामलों में ससमय सूचना नहीं देने, आयोग द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन नहीं करने तथा मांगे गए स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं समर्पित करने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के तहत क्रमशः लोक सूचना पदाधिकारी–सह–असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, सदर अस्पताल, आरा भोजपुर को 20–20 (बीस– बीस) हजार रु0 का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया है। साथ ही दण्ड की राशि की कटौती हेतु जिला पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर को फैसले की कॉपी इस आशय के साथ भेजी है कि वे राशि कटौती कर आयोग को भी अवगत कराये।

ज्ञातव्य है कि चारों मामलों की सुनवाई दिनांक 11.04.2018 को साढ़े दस बजे आयोग कार्यालय में होगी।

******